



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 483

22 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 13th July, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

13th July, 2017

NOTIFICATION No. 18 / 2017 State Tax (Rate)

S.O-55 Dated . 13th July, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department Notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Jharkhand Gazette, Extraordinary vide S.O. No. 31 dated the 29th June, 2017, namely:-

2. In the said notification,-

(i) in Schedule I – 2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those

		which are clearly not to be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers”;

(ii) in Schedule II – 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. This notification will be deemed to be effective from the 1st day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 जुलाई, 2017

अधिसूचना संख्या 18/2017 राज्य कर (दर)

एस० ओ०-55 दिनांक 13 जुलाई, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर झारखण्ड राजपत्र, असाधारण, एस० ओ० 31 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,--

(i) अनुसूची I - 2.5% में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है”;

(ii) अनुसूची II - 6% में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त